भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प भोपाल

(88)

R - 3690 - PBR/14

प्रकरण क्रमांक : ..../2014

01. **दुलीचंद** आत्मज स्व. श्री चैनसिंह, वयस्क
02. **शिवनारायण** आत्मज स्व. श्री चैनसिंह, वयस्क

दोनों निवासी व कृषक ग्राम नरेला, तहसील हुज़ूर,
ज़िला भोपाल

.... **प्रार्थीगण**

विरूद्ध

माखन सिंह आत्मज श्री अनोखीलाल, वयस्क
निवासी ग्राम नरेला, तहसील हुज़ूर,
ज़िला भोपाल

.... **प्रतिप्रार्थी**

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं, 1959 विरूद्ध सीमांकन आदेश दिनांक 16.05.14, जो प्रकरण क्र. 41/अ–12/13–14 में न्यायालय श्रीमान् राजस्व निरीक्षक महोदय, वृत्त–4, तहसील हुज़ूर, ज़िला भोपाल द्वारा पारित किया गया

महोदय,

प्रार्थीगण की ओर से निम्नलिखित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत है :–

तथ्य

01. यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रतिप्रार्थी द्वारा राजस्व निरीक्षक को एक आवेदन–पत्र भूमि खसरा क्र. 363, 364, 365, 366, 369, 370, 371, 372, 373, 375/1 के सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जो राजस्व निरीक्षक महोदय द्वारा अपने कार्यालय के प्रकरण क्र. 41/अ–12/13–14 पर दर्ज़ किया जाकर दिनांक 02.05.2014 को हल्का पटवारी को सीमांकन हेतु पत्र जारी किया तथा दिनांक 15.04.2014 तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये।

01. यह कि, उक्त निर्देश के पालन में दिनांक 10.05.2014 सीमांकन हेतु तिथि नियत की गई तथा दिनांक 10.05.2014 को विधिवत् कार्यवाही किये बग़ैर आलोच्च सीमांकन किया गया है, जिस पंर प्रार्थीगण की आपत्ति होने पर भी प्रार्थीगण की आपत्ति का निराकरण किये बग़ैर आलोच्च आदेश दिनांक 16.05.2014 के द्वारा पटवारी द्वारा सीमांकन रिपोर्ट, प्रकरण में संलग्न किया गया, प्रकरण समाप्त दाख़िल रिपोर्ट हो की आदेश पत्रिका के साथ

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3690-PBR/14 जिला - भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-8-2019	प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, फन्दा तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.05.2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25.09.2018 से लागू हुआ है । संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चत किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, फन्दा तहसील हुजूर न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अत: संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, भोपाल को भेजा जाता है । कलेक्टर, भोपाल प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 21-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अध्यक्ष	